ORDINANCE NO - 6

TEACHING DEPARTMENTS

1. The Departments of Teaching maintained by the Vishwavidyalaya will be the same as comprised within the Faculties.

   (approved vide Governor letter no. F.28-8/2001/RS/U.4 Dated 20/07/2001)

2. विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों में विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य निदेशक/केन्द्र निदेशक/विभाग प्रमुख हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत प्राध्यापक की नियुक्त एक नियत अवधि के लिए हो जो कि तीन वर्ष से अधिक न हो। यदि विभाग में एक ही प्राध्यापक हो तो रीडर पद पर कार्यरत शिक्षक की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

3. विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के साथ ही कार्यरत विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य निदेशक/केन्द्र निदेशक/विभाग प्रमुख के कार्यो का अकादमिक मूल्यांकन (अप्रेजल) उक्त कार्यावधि में उनके द्वारा किये गए शोध कार्य, शिक्षण एवं प्रशासनिक दक्षता के आधार पर एक समिति द्वारा किया जावेगा। इस समिति में संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति तथा संबंधित संकाय के अध्यक्ष (डीन) होंगे। जहाँ पर संबंधित विभागाध्यक्ष ही संकाय अध्यक्ष हों, वहाँ उक्त मूल्यांकन कुलपति द्वारा किया जावेगा।

4. यदि उपरोक्त मूल्यांकन में विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य निदेशक/केन्द्र निदेशक/विभाग प्रमुख उपयुक्त पाये जाते है तो उन्हें आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनः विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा।

5. यदि उपरोक्त (3) के अंतर्गत मूल्यांकन में विभागाध्यक्ष के समतुल्य निदेशक/केन्द्र निदेशक/विभाग प्रमुख के उपयुक्त नहीं पाया गया तो उनके स्थान पर किसी अन्य प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष नामांकित किया जा सकेगा। यदि विभाग में एक ही प्राध्यापक है तो रीडर स्तर के समस्त शिक्षकों को समिति द्वारा अकादमिक मूल्यांकन किया जावेगा तथा सर्वश्रेष्ठ रीडर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जावेगा।

6. विभाग में रीडर उपलब्ध न होने की स्थिति में व्याख्याता को चक्रीय क्रम में विभागाध्यक्ष पद हेतु विचार में नहीं लिया जायेगा।

7. If there are more professors or Readers or Lecturers in a department than one, the Kulapati shall nominate such professor or Reader as the Head of the Department of Teaching as he thinks fit.

8. Subject to the control of the Adhishthatas, the Head of the Department of Teaching shall be responsible for the organization of teaching and research in his department and shall exercise such other functions as may be assigned to him by the Kulapati with the approval of the Karyakarini Samiti.